

नम्बर
अहमद
हुक्म
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) फोलोअप कैम्प स्थान तलावडा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

कैलाश दत्तक पुत्र रामविलास महाजन निवासी तलावडा हालवासी मायावंशी मोहल्ला, श्यामपुरा
तलावडा जिला सूरत गुजरात —वादी

बनाम

1. मुनिदेवी पुत्री स्व. रामविलास महाजन निवासी गंगापूर सिटी

2. कान्ही पुत्री स्व. रामविलास महाजन निवासी गंगापूर सिटी

3. उपखंड अधिकारी जरिए नायब तहसीलदार तलावडा

4. कैम्प हॉल्डर जरिए तहसीलदार गंगापूर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं - 134/2015

वादी की ओर से वादी कैलाश की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 12.7.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के न्याय अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा के अनुसार वादी का दावा विद ड्रा के अनुसार पर खरिज किया जाता है।। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

उर्ध्व पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई


मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रार्थी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

i

राज्य सचिव अचिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(सिविलीन अचिकारी लोक अदालत / कोम्प कोर्ट)
कोम्प कोर्ट का स्थान :- दिल्ली 1937

राजीनामा 6

राजीनामा पत्र

दिनांक 12/7/16

लोक अचिकारी नं. दिल्ली 134/15

व्यक्ति का नाम दुष्पारा देवी शर्मा
अन्तर्गत धारा 53, 188, R.T. Act
कैलाश इच्छा पुत्र श्री रामकिलाल

मैंने जमाने में प्रार्थना की थी कि उक्त जमाने का प्रकरण आपके न्यायालय में लभित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।

हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।
कि मैं और आम आम
एक ही एक ही एक ही एक ही
कोम्प कोर्ट का स्थान :- दिल्ली 1937

मैंने जमाने में प्रार्थना की थी कि हमारा राजीनामा तुरन्त कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

दुष्पारा देवी शर्मा
कैलाश इच्छा पुत्र श्री रामकिलाल

- प्रतिवादी पक्ष 1.
- 2.
- 3.
- 4.

दिनांक 12/7/16
स्थान दिल्ली
हस्ताक्षर दुष्पारा देवी शर्मा

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

कैलाश इच्छा पुत्र श्री रामकिलाल

(हस्ताक्षर) दुष्पारा देवी शर्मा
(हस्ताक्षर) कैलाश इच्छा पुत्र श्री रामकिलाल
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप-चिली कलक्टर
गंगापुर सिटी

रजिस्ट्रार
12-7-16

प्रपत्र-1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान तलाव 37
संख्या मुकदमा 134/15
उत्प्रेषण मुकदमा देलाश

बनाम
पुष्पा देवी शिरो

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

दिनांक निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान तलाव 37
दिनांक 12/7/16

कैलाश

